

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम, जिला-कबीरधाम (छ0ग0)

--विविध आदेश--

क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2025

कबीरधाम दिनांक-19.09.2025

मैं कु रूपल अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(छ.ग.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य विभाजन आदेश क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2025, कबीरधाम, दिनांक 06-09-2025 की तालिका क्रं.-03(एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52-क के तहत इन्वेटरी(विवरणी) प्रमाणित करना) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती हूं, जो तत्काल प्रभावशील होगा

तालिका क्रमांक-03

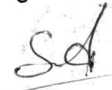
(NDPS ACT की धारा 52-क के तहत इन्वेटरी(विवरणी) प्रमाणित करना)

क्रं.	मजिस्ट्रेटों का नाम	थाना/आरक्षी केन्द्रों का नाम
1.	श्री आलोक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पंडरिया जिला-कबीरधाम	बोडला, चौकी पोडी एवं बैजलपुर, सहसपुर लोहारा, चौकी-रणवीरपुर, पिपरिया, चौकी दशरंगपुर,
2.	कु. रुचिता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम छ.ग.	महिला थाना कवर्धा, कवर्धा, चौकी बाजार चारभांठा, रेंगाखार, झलमला, सिंघनपुरी जंगल, तरेगांव जंगल,
3.	कु. किरण पन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	भोरमदेव, चिल्फी, पण्डरिया, पाण्डातराई, कुकदूर, कुण्डा (चौकी-दामापुर)

आवश्यक टीप:-

(1) तालिका क्रमांक-03 के अनुसार यदि कोई मजिस्ट्रेट लगातार अवकाश पर रहता है तो तालिका क्रमांक-01 के अनुसार उसके नाम के आगे बढ़ते हुए क्रम में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित थाने के NDPS ACT की धारा 52-क के तहत इन्वेटरी(विवरणी) प्रमाणित करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

स्थान:-कबीरधाम (छ.ग.)


कु रूपल अग्रवाल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कबीरधाम छ.ग.